



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfw.kum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक 1432 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, फरवरी, 15 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत नगर पंचायत बनबसा एवं नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रैचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 है० वन भूमि लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8B/UCP/109/112/2021/FC/1254 दिनांक 20.12.2022।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा आपत्तियाँ लगायी गयी थी, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 4830/12-1 दिनांक 10.02.2023 से आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

आपत्ति	प्रतिउत्तर
विन्दु संख्या-01 प्रस्तावित non site-specific परियोजना के लिये वन भूमि के चयन हेतु प्रदान किया गया औचित्य पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। आस-पास काफी गैर वन क्षेत्र उपलब्ध है जिसको इस परियोजना के लिये चयनित किया जा सकता है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार इस परियोजना के लिये प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की अन्य भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। जिस कारण वन विभाग, राजस्व विभाग एवं इस निकाय द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर उक्त स्थल को ट्रैचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु सर्वोत्तम मानते हुए भूमि का चयन किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना हेतु जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा प्रमाणित न्यूनतम भूमि प्रमाण-पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
2-विन्दु संख्या-02 आन-लाईन भाग I के पैरा H में आवश्यक सुधार करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार उक्त परियोजना के लिये वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात ही निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व Environment Clearance प्राप्त किया जायेगा।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नक सहित सादर प्रेषित की जा रही है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1432 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 4830/12-1 दिनांक 10.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, त्रयाई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमनाग वन परिषद, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 4830 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक 10/02/2022

कार्यालय वन संरक्षक वास्तवी वन
नैनीताल
वजाकरण सं. 51545
पंजी सं. 12-1
दिनांक 13.02.2022

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- जनपद-चम्पावत के अर्न्तगत नगर पंचायत बनबसा एवं नगर पालिका परिषद् टन्कपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रेचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 है० वन भूमि लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बनबसा चम्पावत पत्रांक-668/डो०अप०प्रव०/2022-23 दिनांक 18.01.2023 (संलग्न)।

महोदय

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8B/UCP/109/112/2021/FC/1254 दिनांक 20.12.2022 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-4286/12-1 दिनांक-21.01.2023 द्वारा चाही गयी सूचना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित कि गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

बिन्दु संख्या	आपत्ति	निस्तारण
1:-	बिन्दु संख्या-01 प्रस्तावित non site-specific परियोजना के लिये वन भूमि के चयन हेतु प्रदान किया गया औचित्य पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। आस-पास काफी गैर वन क्षेत्र उपलब्ध है जिसको इस परियोजना के लिये चयनित किया जा सकता है।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु के अनुपालन में इस परियोजना के लिये प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की अन्य भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ही है जिस कारण वन विभाग, राजस्व विभाग एवं इस निकाय द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर उक्त स्थल को ट्रेचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु सर्वोत्तम मानते हुये भूमि का चयन किया गया है। साथ ही महोदय को यह भी अवगत कराना है कि उक्त परियोजना हेतु जिलाधिकारी महोदय चम्पावत द्वारा प्रमाणित न्यूनतम भूमि प्रमाण-पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
2:-	बिन्दु संख्या-02 ऑनलाईन भाग I के पैरा H में आवश्यक सुधार करने का कष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु के अनुपालन में उक्त परियोजना के लिये वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात ही निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व बनाने Environment Clearence प्राप्त किया जायेगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


भवदीय

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
त्रयाई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

क्र 4830 /12-1 दिनांकित
तेलिपि- निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षण नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बनबसा चम्पावत।



(संदीप/कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



!! कार्यालय नगर पंचायत बगबसा (चम्पावत) !!

(सगच्छता ही सेवा)

Email- eo.nagarpanchayatbanbasa@gmail.com

पत्राक- 686 / 00अप0प्रब0 / 2022-23

दिनांक-18-01-2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी।

विषय-

जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत नगर पंचायत बगबसा एवं नगर पालिका परिषद, टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बगबसा में ट्रैचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 हे० वन भूमि लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में। (Proposal No FP/UK/Others/33662/2018)

संदर्भ-

सहायक महानिरीक्षक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या- 8B/UCP/09/112/2021/FC/1254 दिनांक 20-12-2022।

महोदय

उपरोक्त संदर्भित (छायाप्रति संलग्न) विषयगत प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण/आख्या निम्नानुसार प्रेषित है पत्र में उक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कतिपय बिन्दुओं त्रुटियों पाते हुये आवश्यक सूचनायें चाही गई है जो कि बिन्दुवार निम्नवत् हैं:-

बिन्दु संख्या	आपत्ति	निरस्तारण
बिन्दु संख्या 1:-	<p>प्रस्तावित non site-specific परियोजना के लिये वन भूमि के चयन हेतु प्रदान किया गया औचित्य पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। आस-पारा काफी गैर वन क्षेत्र उपलब्ध है जिसको इस परियोजना के लिये चयनित किया जा सकता है।</p> <p>कार्यालय तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी प्राप्ति सं० ...21/44..... एजी० सं० ...12-1..... दिनांक ...31/01/2023</p>	<p>महोदय उक्त बिन्दु के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि इस परियोजना के लिये प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पारा की अन्य भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है जिस कारण वन विभाग, राजस्व विभाग एवं इस निकाय द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर उक्त स्थल को ट्रैचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु सर्वोत्तम मानते हुये भूमि का चयन किया गया है। साथ ही महोदय को यह भी अवगत कराना है कि उक्त परियोजना हेतु जिलाधिकारी महोदय चम्पावत द्वारा प्रमाणित न्यूनतम भूमि प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।</p>
बिन्दु संख्या 2:-	<p>ऑनलाईन भाग I के पैरा H में आवश्यक सुधार करने का कष्ट करें।</p>	<p>महोदय उक्त बिन्दु के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के लिये वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात ही निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व Environment Clearance प्राप्त किया जायेगा।</p>

श्रीमती खन्ना
08
31/1/23

दृष्ट करें।

अतः महोदय से सादर निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का

भवदीय

अधिकासी अधिकासी
नगर पंचायत बनबसा

अधिकासी अधिकासी
नगर पंचायत
बनबसा (चम्पावत)

प्रतिलिपि:-

- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. मा0 अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत बनबसा।
 2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 3. आयुक्त महोदय, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
 4. निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 5. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
 6. प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
 7. उपजिलाधिकारी महोदय, श्री पूर्णागिरी (टनकपुर)।

अधिकासी अधिकासी
नगर पंचायत बनबसा
चम्पावत।